

१७-६-२०१६

जगदीश

२०२१

मोहन

इशिका

पुष्प

पुष्प लाल

के.एन. शर्मा

श्री

श्री २०२१

राजस्थान लोक अदालत कायदा अधिनियम १९८६ के तहत उपपत्रों से तैयार जल्दी किए जाने के बाद पत्रावली राजस्थान लोक अदालत अदालत के केंद्र गुजरात अलीगढ़ पर भेजा हुआ है। यह प्रतीपक्षीय उपकरणों द्वारा विलंबित हो जाने से इस उपकरण के चलने का कोई अभाव नहीं है। अतः प्रत्येक इसी स्तर पर निष्पादित किया जाता है पत्रावली के अभाव में होकर तब तक रुक रहा है तथा शामिल होल बाद है।

(६)